

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश

प्रमुख औद्यानिक विकास कार्यक्रमों हेतु अनुमन्य सुविधाएँ

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा प्रदेश में फल, शाकभाजी, आलू, मसाला, पुष्प आदि औद्यानिक फसलों के विकास, फल - शाकभाजी संरक्षण विधियों के प्रचार के साथ-साथ मधुमक्खी पालन, खाद्य प्रसंस्करण, कुकरी, बेकरी एवं कन्फेक्शनरी आदि विधाओं में प्रशिक्षण, औषधीय एवं सगन्ध फसलों की खेती का विकास तथा पान की खेती को प्रोत्साहन तथा अनुपूरक उद्यम के रूप में मशरूम उत्पादन के सुनियोजित विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित हैं। बागवानी फसलें प्रदेश के अधिकांश छोटी जोत के कृषकों के लिए कृषि के विविधीकरण का सशक्त विकल्प है, जिन्हे अपनाकर इकाई क्षेत्र से अधिक आय, पोषण एवं रोजगार उपलब्ध कराये जा सकते हैं। प्रदेश की उपयुक्त कृषि जलवायु सभी प्रकार की बागवानी फसलों के उत्पादन के लिए अनुकूल हैं। जन साधारण की आय में वृद्धि से बागवानी फसलों की माँग के सापेक्ष उत्पादन में गुणात्मक वृद्धि एवं वर्ष भर उपलब्धता की चुनौती ने बागवानी के चतुर्दिक विकास के नये अवसर प्रदान किये हैं।

औद्यानिक विकास योजनाओं का विवरण

क्र० सं०	योजनाओं का नाम	चिन्हित जनपद
1	एकीकृत बागवानी विकास मिशन	75
2	पर ड्राप मोर क्रॉप - माइक्रोइरीगेशन	75
3	बुंदेलखण्ड एवं विंध्य क्षेत्र में औद्यानिक विकास की योजना	10
4	गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में औद्यानिक विकास की योजना	27
5	अनुसूचित जाति/जनजाति कृषकों हेतु औद्यानिक विकास कार्यक्रम (राज्य सेक्टर)	75
6	फलपट्टियों के विकास की योजना	15
7	अ-गुणवत्तायुक्त पान उत्पादन की प्रोत्साहन योजना (राज्य सेक्टर)	12
	ब-राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत पान विकास योजना (केन्द्र सेक्टर)	21
8	उ०प्र० खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति - 2023	75
9	प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना	75

विभाग द्वारा संचालित उपरिसन्दर्भित योजनाओं में अनुमन्य अनुदान का विवरण निम्नवत् है :-

योजना/कार्यक्रम	अनुमन्य सुविधाएँ
रोपण सामग्री का उत्पादन	(i) छोटी नर्सरी की स्थापना (1 हेक्टेयर) की इकाई लागत रु. 20 लाख का 50 प्रतिशत अधिकतम अनुदान रु. 10.00 लाख। (ii) ट्रिशूकल्चर लैब की स्थापना की इकाई लागत रु. 250 लाख का 40 प्रतिशत अधिकतम अनुदान रु. 100 लाख, क्रेडिट लिंकड बैक इण्डेड। (iii) शाकभाजी, आलू एवं मसाला बीज उत्पादन की इकाई लागत रु. 50 हजार प्रति हेक्टेयर का 100 प्रतिशत रु. 50000/- हेक्टेयर तक (सार्वजनिक क्षेत्र) एवं 35 प्रतिशत रु. 17500/- हेक्टेयर तक (निजी क्षेत्र)।
फलदार बागों का रोपण।	(i) ट्रिशूकल्चर केला रोपण के लिए इकाई लागत रु. 1.75 लाख प्रति हेक्टेयर के सापेक्ष 40 प्रतिशत अनुदान की दर से रु. 0.70 लाख प्रति हेक्टेयर तथा पपीता रोपण के इकाई लागत रु. 75000/- प्रति हेक्टेयर के सापेक्ष 40 प्रतिशत अनुदान की दर से रु. 30000/- प्रति हेक्टेयर 60:40 के अनुपात में 02 वर्षों में देय हैं।

	(ii) आम, अमरुद, लीची एवं खट्टे फल (मैंडरिन/आरंज/ लाइम एण्ड लेमन्स) के उद्यान रोपण की इकाई लागत रु. 125000/- प्रति हेक्टेयर के सापेक्ष 40 प्रतिशत अनुदान की दर से रु. 50000/- प्रति हेक्टेयर, ड्रैगन फ्रूट रोपण के इकाई लागत रु. 675000 प्रति हे० के सापेक्ष 40 प्रतिशत अनुदान की दर से रु. 270000 प्रति हे०, खजूर रोपण के इकाई लागत रु. 400000 प्रति हे० के सापेक्ष 40 प्रतिशत अनुदान की दर से रु. 160000 प्रति हे०, फिंग रोपण के इकाई लागत रु. 125000 प्रति हे० के सापेक्ष 40 प्रतिशत अनुदान की दर से रु. 50000 प्रति हे० एवं करौंदा, जामुन, बेल, बेर, टेमरिंड, जैक फ्रूट, फालसा, आंवला रोपण के इकाई लागत रु. 75000 प्रति हे० के सापेक्ष 40 प्रतिशत अनुदान की दर से रु. 30000 प्रति हे० 02 वर्षों में देय हैं एवं स्ट्राबेरी रोपण के इकाई लागत रु. 200000 प्रति हे० के सापेक्ष 40 प्रतिशत अनुदान की दर से रु. 80000 प्रति हे० अनुदान देय है।
मसाला क्षेत्र विस्तार।	मसाला कार्यक्रम के अन्तर्गत प्याज फसलों के क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम कराये जाते हैं, जिनकी इकाई लागत रु. 50000 से रु. 100000 प्रति हेक्टेयर का 40 प्रतिशत रु. क्रमशः रु. 20000 से रु. 40000 प्रति हेक्टेयर अनुदान अनुमन्य है।
पुष्प क्षेत्र विस्तार।	पुष्प क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत गेंदा एवं गुलाब के कार्यक्रम संचालित हैं, जिसपर लघु सीमान्त एवं अन्य कृषकों को कट फ्लावर की इकाई लागत रु. 1.25 लाख का 40 प्रतिशत रु. 50000 प्रति हेक्टेयर तथा लूज फ्लावर की इकाई लागत रु. 50000 का 40 प्रतिशत रु. 20000 प्रति हेक्टेयर एवं बल्बलस फ्लावर के लिए इकाई लागत 2.50 लाख पर 40 प्रतिशत अधिकतम 1.00 लाख का अनुदान दो किश्तों 60:40 के अनुपात में अनुमन्य है।
संरक्षित खेती को बढ़ावा देना	बेमौसमी सब्जियों तथा हाई वैल्यू पुष्पों की खेती संरक्षित ढांचे में करने के लिए प्रदेश में ग्रीन हाउस एवं शेड नेट हाउस की स्थापना पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। एक लाभार्थी को अधिकतम 2500 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए अनुदान की सुविधा उपलब्ध है।
मधुमक्खी पालन	मधुमक्खी पालन कार्यक्रम में प्रत्येक लाभार्थी को 50 मौनगृह मौनवंशों सहित एवं सहायक उपकरणों के साथ एक यूनिट की स्थापना करायी जाती है, जिसकी इकाई लागत पर 40 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।
मशरूम कार्यक्रम	मशरूम कार्यक्रम में मशरूम उत्पादन, कम्पोस्ट एवं स्पान मेकिंग यूनिट की स्थापना करायी जाती है। मशरूम उत्पादन एवं कम्पोस्ट मेकिंग यूनिट की इकाई लागत रु. 30 लाख प्रति इकाई तथा स्पान यूनिट की इकाई लागत रु. 20 लाख प्रति इकाई का 40 प्रतिशत क्रमशः रु. 12.00 लाख एवं 8 लाख अनुदान प्रति इकाई अनुमन्य है।
पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट	(i) फार्म गेट पैक हाउस निर्माण, प्याज भण्डार गृह व लो-कॉस्ट प्रोसेसिंग यूनिट, प्राइमरी/मिनिमल प्रोसेसिंग यूनिट, प्री-कूलिंग यूनिट, रिफर वैन, राइपेनिंग चैम्बर आदि की स्थापना पर लागत का 35 से 50 प्रतिशत अनुदान क्रेडिट लिंक बैंक इण्डेड के आधार पर अनुमन्य है। (ii) नवीन तकनीकी मानकों के अनुसार निर्मित होने वाले शीतगृहों (क्षमता 5000 मी. टन तक) पर परियोजना लागत का 35 प्रतिशत अनुदान क्रेडिट लिंक बैंक एण्डेड सब्सिडी के रूप में अनुदान अनुमन्य है।
संकर शाकभाजी उत्पादन	प्रदेश के समस्त जनपदों में संकर शाकभाजी उत्पादन की योजनान्तर्गत टमाटर, शिमला मिर्च, संकर पातगोभी, संकर फूलगोभी एवं कद्दूवर्गीय सब्जियों के क्षेत्रविस्तार के कार्यक्रम कराये जा रहे हैं। संकर शाकभाजी की इकाई लागत रु. 60,000/- प्रति हेक्टेयर का 40 प्रतिशत रु. 24,000/- प्रति हेक्टेयर अनुदान है।
पर ड्रॉप मोर क्राप (माइक्रोइरीगेशन) ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई	पर ड्रॉप मोर क्राप (माइक्रोइरीगेशन) कार्यक्रम के अन्तर्गत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई के कार्यक्रम सम्पादित किये जाते हैं। योजनान्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा इस विधा को अधिक लोकप्रिय करने एवं पानी की बचत किये जाने हेतु ड्रिप, मिनी एवं माइक्रो में लघु सीमान्त कृषकों को इकाई लागत का 90 प्रतिशत एवं एवं अन्य कृषकों 80 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। पोर्टेबल, सेमीपरमानेंट एवं रेनगन स्प्रिंकलर हेतु लघु सीमान्त कृषकों को 75 एवं अन्य कृषकों को 65 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था निर्धारित।
गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में औद्यानिक विकास की योजना (नमामि गंगे)	(i) गंगा से आच्छादित 27 जनपदों में नवीन उद्यान रोपण हेतु रु. 3000/- प्रतिमाह प्रति हेक्टेयर की दर से पौधों की जीवितता के अनुरूप 36 माह तक लाभार्थी को कुल रु. 108000/- प्रोत्साहन स्वरूप अनुदान देय है। (ii) निजी क्षेत्र में छोटी नर्सरी की स्थापना (1 हेक्टेयर) की इकाई लागत रु. 15 लाख का 50 प्रतिशत अधिकतम अनुदान रु. 7.50 लाख, क्रेडिट लिंक बैंक इण्डेड।

बुंदेलखण्ड एवं विंध्य क्षेत्र में औद्यानिक विकास की योजना	योजनान्तर्गत नवीन उद्यानों की स्थापना जैसे : अमरुद, कागजी नीबू, मौसमी, आंवला, अनार, बेल, बेर, आदि के पौधों की जीवितता मानक के अनुसार पूर्ण किये जाने की स्थिति में रु. 3000/- प्रति हेक्टेयर की दर से 03 वर्षों तक लाभार्थी कृषक को अनुदान की सुविधा अनुमन्य है।
अनुसूचित जाति/जनजाति कृषकों हेतु औद्यानिक विकास कार्यक्रम (राज्य सेक्टर)	योजनान्तर्गत कद्दूवर्गीय, संकर शिमला मिर्च, टमाटर, खरीफ प्याज, मसाला मिर्च, गुलाब तथा गेंदा की खेती, आई.पी.एम. एवं मौनपालन विकास के कार्यक्रम सम्मिलित हैं। इन गतिविधियों को अपनाने पर इकाई लागत के सापेक्ष 75 से 90 प्रतिशत राज सहायता अनुमन्य है।
अ-गुणवत्तायुक्त पान उत्पादन की प्रोत्साहन योजना (राज्य सेक्टर)	योजनान्तर्गत पान की खेती हेतु 1500 वर्गमी. में प्रति बरेजा निर्माण लागत की धनराशि रु. 1,51,360/- का 50 प्रतिशत धनराशि रु. 75,680/- विभिन्न निवेशों पर देय है।
ब-राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत पान विकास योजना (केन्द्र सेक्टर)	योजनान्तर्गत पान की खेती हेतु 1000 वर्गमी. में प्रति बरेजा निर्माण लागत की धनराशि रु. 1,00,906/- का 50 प्रतिशत धनराशि रु. 50,453/-, 750 वर्गमी. में प्रति बरेजा निर्माण लागत की धनराशि रु. 75680/- का 50 प्रतिशत धनराशि रु. 37840/-, 500 वर्गमी. में प्रति बरेजा निर्माण लागत की धनराशि रु. 50453/- का 50 प्रतिशत धनराशि रु. 25226/- व 250 वर्गमी. में प्रति बरेजा निर्माण लागत की धनराशि रु. 25226/- का 50 प्रतिशत धनराशि रु. 12613/- विभिन्न निवेशों पर देय है।
उ.प्र. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति - 2023	- खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना पर प्लांट मशीनरी एवं तकनीकी सिविल कार्य की लागत का 35 प्रतिशत अधिकतम 5 करोड़ की छूट प्रदान की जायेगी। - खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों का विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण/उन्नयन पर प्लांट मशीनरी एवं तकनीकी सिविल कार्य की लागत का 35 प्रतिशत अधिकतम 01 करोड़ की छूट प्रदान की जायेगी। - कोल्ड चेन और मूल्य संवर्द्धन इन्फ्रास्ट्रक्चर (भण्डारण, पैक हाउस, प्री कूलिंग यूनिट, राइपनिंग चेम्बर, ट्रांसपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर) का 35 प्रतिशत और फ्रोजन स्टोरेज/डीप फ्रिजर, मूल्य संवर्द्धन और प्रसंस्करण के बुनियादी ढांचे तथा विकरण के लिए परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 10 करोड़ तक छूट प्रदान की जायेगी।
पी.एम.एफ.एम.ई.	योजनान्तर्गत निजी सूक्ष्म उद्यमों एवं समूहों का अनुमन्य परियोजना लागत का 35%, अधिकतम रु0 10 लाख क्रेडिट लिंकड सब्सिडी का प्राविधान है। इस योजना के लिए कृषक विभागीय पोर्टल http://pmfme.mofpi.gov.in/ पर पंजीकरण कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
पर ड्रॉप मोर क्रॉप – माइक्रोइरीगेशन के लिए कृषक http://upmip.in/ पोर्टल पर एवं अन्य विभागीय योजनाओं के लिए कृषक विभागीय पोर्टल http://dbt.uphorticulture.in/ पर पंजीकरण कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।	